

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) शिक्षा विभाग, जोधपुर

--:: कार्यालय आदेश ::--


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ -1/12102/पुअ ग्रेड-III /सी.भ./2016 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पुस्तकालयध्यक्ष ग्रेड -III पद हेतु पे मैट्रिक्स के लेवल-10 के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को तृ.वे.श्रृं. पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर इन्हे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 के अनुसूची 4 नियम 16 में अंकित लेवल 10 में नियत मानदेय रूपये 23700/- देय होगा साथ ही उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार परिवीक्षाधीन कार्मिक का न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत 10 प्रतिशत नियत मानदेय की कटौति की जायेगी एवं इन्हें किसी भी प्रकार के भत्ते जैसे विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, सीसीए, मंहगाई वेतन (डीपी) किसी प्रकार का बोनस कार्यग्रहण पर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इनके राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि में कोई कटौती नहीं की जायेगी। इन्हे कलेन्डर वर्ष में केवल 15 ही आकस्मिक अवकाश देय होंगे। इनकी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि को वेतन वृद्धि के लिये गणना नहीं की जायेगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश व उपाजित अवकाश देय नहीं होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(6) एफडी (नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन देय होगा। राज्य सरकार के पत्रांक प.17(15) शिक्षा 2/2014 दिनांक 04.09.2017 में अंकित बिन्दु संख्या -2 (ए से एच) की पालना भी सुनिश्चित करते हुए वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 03.12.2017 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी। इन्हे दिनांक 23.12.2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस बी सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करे :-

1. इनके द्वारा अर्जित एवं इनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशैक्षिक/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
4. राज्य से बाहर की संस्थाओं से अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की जांच विभाग द्वारा करायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक


65
3.12.17

- योग्यता वैद्य एवं मान्य नहीं पाई गयी तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
 6. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेल-कूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित/अनुप्रमाणित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्थाप्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त कर अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे।
 7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा।
 8. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे की यह वही अभ्यर्थी है जिसको नियुक्ति प्रदान की गयी है।
 9. इन्हे कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।
 10. इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए शाला दर्पण में इनकी प्रविष्टियां अपडेट करेंगे।


(हनुमान सहाय गुर्जर)
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक :- जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था-स/नियुक्ति/पु0अ-2016/2017/७८१ दिनांक :- ०३/१२/१७
:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रतिलिपि श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
3. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय) शिक्षा विभाग, जोधपुर।
6. संबंधित संस्था प्रधान.....।
7. संबंधित आशार्थी।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
9. रक्षक/निजी पत्रावली।


(हनुमान सहाय गुर्जर)
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (साध्यिक-प्रथम) शिक्षा विभाग जोधपुर


क्रमांक :- जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था-स/नियुक्ति/पु0अ-2016/2017/827 दिनांक :- 03/12/17

पुस्तकालयध्यक्ष ग्रेड-III के पदस्थापन आदेश

क्र सं	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	स्थाई पता	जन्म तिथि	चयन वर्ग	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	122	चन्द्रवीर सिंह	कान सिंह	GEN	चाबा हाउस, ईस्ट पटेलनगर, गणेशपुरा, रातानाडा, जोधपुर	18-02-1983	GENM	राउमावि प्रतापनगर, जोधपुर
2	258	माणक सिंह	अनोप सिंह	GEN	गांव नाहरसिंह नगर, पो.तैना, तह. शेरगढ़, जिला जोधपुर	07-10-1987	GENM	राउमावि खारी बेरी, बालेसर
3	107	निधि भार्गव	दिनेश कुमार भार्गव	GEN	द्वारा श्री मनोज भार्गव, ए-72, कमला नेहरू नगर, द्वितीय विस्तार जोधपुर	18-09-1974	GENF	राबाउमावि तिवरी
4	113	दर्शिका मिश्रा	अजीत मिश्रा	GEN	17/240, गउघाट के पास, वनखण्डेश्वर रोड, भिण्ड, म.प्र.	31-07-1987	GENF	राउमावि पांचला खुर्द, तिवरी
5	142	ज्योति अग्रवाल	नरेन्द्र कुमार जैन	GEN	रेल्वे स्टेशन के पास, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर	28-02-1995	GENF	राउमावि चेराई, तिवरी
6	166	सरिता सोनी	कमल किशोर सोनी	OBC	40/74, माणक पथ/स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर	03-08-1981	GENF	राबाउमावि एस. एम. बी. फलौदी
7	268	ताहिरा खॉन	काले खां	OBC	ग्रा. खोहरा पो. ओलन्दा तह. कामा जिला भरतपुर	01-03-1986	OBCF	राउमावि नेवरा गाँव, औसियाँ
8	2	सुरेन्द्र सिंह सोलंकी	माधा राम सोलंकी	OBC	मालियों की ढाणी, मादलिया, तहसील पीपाडशहर, जिला-जोधपुर	05-07-1985	GENM	राउमावि रायमलवाड़ा, बापिणी
9	3	रामू राम	रतन लाल	OBC	49, हनुमान सागर कृषि फार्म, कोटड़ा, तहसील तिवरी, जिला-जोधपुर	21-07-1987	GENM	राबाउमावि लोहावट
10	7	सुभाष डूडी	रामनिवास डूडी	OBC	ग्रा.पो. रतकूड़िया, तहसील भोपालगढ़, वाया पीपाड रोड, जिला-जोधपुर	07-01-1990	GENM	राउमावि मौरिया, लोहावट
11	32	कुलदीप सिंह सिसोदिया	ओम प्रकाश सिसोदिया	SC	सिसोदिया भवन, राठौड़ मार्केट, बिलाडा जिला-जोधपुर	26-07-1982	GENM	राउमावि चामू, सेखाला
12	33	सुरेन्द्र कुमार बेरा	भेंवर लाल बेरा	OBC	46 जाट मोहल्ला मु. पो. मोकलपुर तहसील मेड़तासिटी, जिला नागौर	02-01-1982	GENM	राउमावि छिला, लोहावट

69
3.12.17

13	34	अनिल भाटी	चिन्नु लाल	OBC	19-बी, काजरी रोड, मिल्क मैन कॉलोनी, पाल रोड, जोधपुर	13-05-1978	GENM	राउमावि खिरजा खाँस, शेरगढ़
14	55	कमल किशोर सेन	ओम प्रकाश	OBC	के-774, करणी कॉलोनी, गली नं0 18, चांदना भाकर, जिला-जोधपुर	04-07-1982	GENM	राउमावि कोलु पाबुजी, देचू
15	74	ईश्वर सिंह भाटी	भवानी सिंह भाटी	GEN	ग्राम पोस्ट नानण, तहसील पीपाड़शहर, जोधपुर	09-07-1984	GENM	राउमावि भेड़, औसियाँ
16	197	हरीश जांगू	मेघा राम	OBC	ग्रा.पो. खरी कर्म सोता, जिला-नागौर	10-07-1992	OBCM	राउमावि भौजासर, फलौदी
17	245	हरिराम विश्नोई	रामेश्वर लाल विश्नोई	OBC	जीवण नाथ जी की बगीची के पास, नत्थूसर गेट के बाहर, वार्ड नं0 18, बीकानेर	15-05-1985	OBCM	राउमावि जाम्बा की ढाणी, बाप
18	261	सुरेन्द्र सिंह गुर्जर	जगदातार सिंह गुर्जर	OBC	पटेल सदन, 141-के न्यू कॉलोनी आशापुरा, वार्ड नं02, बांदीकुई, तह. बसवा जिला-दौसा	06-08-1989	OBCM	राउमावि नौसर, लोहावट
19	271	मुकेश घटेला	रामचन्द्र घटेला	OBC	गांव तेजासर पो. मागलोद तह. जायल जिला नागौर	01-05-1996	OBCM	राउमावि घंटियाली, बाप
20	415	हरि किशन	परसा राम मेघवाल	SC	ग्रा.पो. नाडसर वाया भोपालगढ़ जिला जोधपुर	25-09-1986	SCM	राउमावि खारा, फलौदी
21	482	अजय कुमार	रामेश्वर लाल	SC	बुढ़ा बालाजी के पास, गांव-कटराथल जिला-सीकर	04-08-1988	SCM	राउमावि रड़ का बेरा, फलौदी
22	568	रिपु महर	ईश्वर लाल महर	ST	ग्रा.पो. रामपुरा, तह. राजगढ़ जिला अलवर	03-01-1995	STM	राउमावि बालेसर
23	611	संदीप कुमार	बनवारी लाल	SC	ग्रा. पो. मालारामपुरा, तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़	05-10-1987	SCM	राउमावि शेरगढ़
24	714	किशन लाल मीणा	रामफूल मीणा	ST	गांव-मन्दरूपुरा, पो. गढ़, तह. बस्सी जिला-जयपुर	01-07-1996	STM	राउमावि देचू


 (हनुमान सहाय गुर्जर)
 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)
 शिक्षा विभाग, जोधपुर